

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/के-1316/2013/अलेसे-III/994-1002 दिनांक :- 26-8-2022

कार्यालय आदेश 621 2022-23

संयुक्त निदेशक (कोष), निदेशालय कोष एवं लेखा, राज. जयपुर के यू.ओ.नोट क्रमांक 5052 दिनांक 26.08.2022 के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चितरी जिला डूंगरपुर द्वारा प्रस्तुत 11 कूट रचित वेतन एरियर बिल कुल राशि **2,65,79,438 /-** रु के अनियमित भूगतान के क्रम में उप कोष कार्यालय सागवाड़ा में पदस्थापित ऑडिटर श्री खुशवन्त पाटीदार कनि. लेखाकार (लिंक नं. 10514) को प्रथम दृष्ट्या दोषी प्रतीत होना माना गया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री खुशवन्त पाटीदार, कनि. लेखाकार कार्यालय उप कोष कार्यालय सागवाड़ा को तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में उनका मुख्यालय कोषालय, बांसवाड़ा रहेगा।

श्री खुशवन्त पाटीदार, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम-53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/के-1316/2013/अलेसे-III/994-1002 दिनांक :- 26-8-2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कार्यालय कोषाधिकारी, बांसवाड़ा।
3. कार्यालय कोषाधिकारी, डूंगरपुर।
4. उप कोष कार्यालय सागवाड़ा।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. एसीपी उपनिदेशक को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. श्री खुशवन्त पाटीदार, (लिंक नं. 10514) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप कोष कार्यालय सागवाड़ा जिला डूंगरपुर।
8. संयुक्त निदेशक (कोष)/जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

↓
(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)